

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE
	साधिकार प्रकाशित	Extraordinary Published by Authority
	भाद्र, 03, मंगलवार, शाके 1948- अगस्त 25, 2026 Bhadra 03, Tuesday, Saka 1948- August 25, 2026	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 25, 2026

संख्या :एफ.1(2)(1)/रोल/निर्वा/2025/3456: भारत निर्वाचन आयोग की अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति संबंधी निम्न अधिसूचना सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

नवीन महाजन,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 21 अगस्त, 2026

30 श्रावण, 1948(शक)

अधिसूचना

सं. 508/आरजे/2025:-निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 23 के उप-नियम (1) तथा नियम 27 के उप-नियम (1)(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के खंड (क) के उपबंध के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा निदेश देता है कि राजस्थान राज्य के जिलों के अंतर्गत आने वाले विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना सं. 508/आरजे/2025, दिनांक 28.05.2025 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे।

उक्त तालिका के स्तंभ (1) में प्रदर्शित जिलों के संबंध में, उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के स्तंभ (3) में मौजूदा प्रविष्टियों को नीचे दिए गए स्तंभ (3) में दर्शाई गई प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

तालिका

जिले का नाम और क्र.सं.	अपीलीय अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार (विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)
1	2	3
26-बाड़मेर	जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	134-शिव
		135-बाड़मेर
		136-बायतू
		140-चौहटन (अ.जा.)
27-बालोतरा	जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा	137-पचपदरा
		138-सिवाना
		139-गुड़ा मालानी

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 21st August, 2026

30 Shravan, 1948 (Saka)

NOTIFICATION

No. 508/RJ/2025:- In exercise of powers conferred by sub-rule (1) of Rule 23 and sub-rule (1)(c) of Rule 27 of the Registration of Electors Rules 1960, and in pursuance of the provision of clause (a) of Section 24 of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission of India hereby directs that the following amendments shall be made in the Notification No. 508/RJ/2025 dated 28.05.2025, relating to the appointment of Appellate Officer for Assembly Constituencies comprised within the district in the State of Rajasthan.

For the existing entries in column (3) of the table appended to the said notification, in respect of the Districts shown in column (1) of the said table, the entries shown in column (3) below shall be substituted:-

Sr. No. & Name of District	Designation of Appellate Officer	Area of Jurisdiction (Assembly Constituencies)
1	2	3
26-BARMER	DISTRICT COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, BARMER	134-SHEO
		135-BARMER
		136-BAYTOO
		140-CHOHTAN (SC)
27-BALTORA	DISTRICT COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, BALOTARA	137-PACHPADRA
		138-SIWANA
		139-GUDAMALANI

By Order,

SUMAN KUMAR DAS,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।